



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-14072025-264619
CG-MH-E-14072025-264619

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3121]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947

No. 3121]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे] (निर्माण संगठन)

अधिसूचना

मुम्बई, 11 जुलाई, 2025

का.आ. 3191(अ).— केंद्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 27 मार्च, 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का .आ.1442(अ) तारीख, 27 मार्च, 2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिविष्ट भूमि को गुजरात राज्य में जिला खेड़ा में पश्चिम रेलवे पर वडोदरा डिवीजन के वडोदरा-गेरतपुर खंड के बीच किमी 455/20-22 पर एल सी नंबर 278 के बदले में 2 लेन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों “निर्मल गुजरात” (गुजराती), “यग लीडर” (हिंदी) और “द इंडियन एक्सप्रेस” (अंग्रेजी) में तारीख 02 अप्रैल, 2025 को प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड को उप धारा.(1) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20डे की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह धोषणा करती है कि इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिविष्ट भूमि पूर्वान्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20डे की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह और धोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिविष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर अनन्य रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

विषय: विशेष रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण संरचना सहित या बिना) (संरचना के, अर्थात् —"पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के वडोदरा-गेरतपुर खंड के बीच कि.मी .455/20-22 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 278 के स्थान पर दो लेन के रोड ओवर ब्रिज)आर.ओ.बी (.का निर्माण", जो गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में स्थित है, जैसा कि डी.आई.एल.आर .खेड़ा- नडियाद द्वारा तैयार की गई संयुक्त मापन पत्रक में दर्शाया गया है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में पश्चिम रेलवे पर वडोदरा डिवीजन के वडोदरा-गेरतपुर खंड के बीच किमी 455/20-22 पर एल सी नंबर 278 के बदले में 2 लेन रोड ओवर ब्रिज)आरओबी (का निर्माण नाम की विशेष रेल परियोजना के लिए संरचना के साथ या उसके बिना अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य : गुजरात

ज़िला: खेड़ा

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	जमिन मालिक /रचिकर व्यक्ति
----------	-------------	------------	----------------	-----------------	------------------------------	---------------------------

तालुका : नडियाद (ग्रामीण)

1.	सिल्लोड	372/1	निजी	कृषि	0-00-16	मेलाभाई शनाभाई सोमाभाई शनाभाई राधाभाई शनाभाई नंदाबेन शनाभाई सरदार की बेटी नीराबेन शनाभाई सरदार की बेटी
2.	सिल्लोड	378	निजी	कृषि	0-02-72	दशरथभाई मंगलभाई
3.	सिल्लोड	381	निजी	कृषि	0-00-15	राजाभाई चंदभाई, रणछोडभाई सरदारभाई, आसिबेन सरदारभाई, पुरशोटमभाई राजाजी, शिवाभाई राजाभाई, फुलभाई राजाभाई, मंगलभाई राजभाई, मागजीभाई राजाभाई चदाभाई की विधावा, सावभाई बेचरभाई
4.	सिल्लोड	518	निजी	कृषि	0-00-74	विट्ठल भाई वीराभाई, उदभाई वीराभाई, लीलाबेन बुढाभाई विराभाई की विधावा
5.	सिल्लोड	519	निजी	कृषि	0-02-79	गोहेल पुंजाभाई भीखाभाई
6.	सिल्लोड	520	निजी	कृषि	0-00-41	मंगुबेन पुनमभाई मंगलभाई की विधावा नटुभाई पुनमभाई हसमुखभाई पुनमभाई भीखिबेन पुनमभाई मंगलभाई की बेटी मधुबेन पुनमभाई मंगलभाई की बेटी

						पुनमभाई मंगलभाई की बेटी कोकिलाबेन भोई राधाबेन ते परशुभाई की विधवा भोई कल्पेश परशुभाई राधाबेन नावालिंग बेटे गोपाल परशुभाई की संरक्षक हैं
7.	सिल्लोड	521	निजी	कृषि	0-00-27	रामभाई शामलभाई
8.	सिल्लोड	522	निजी	कृषि	0-08-14	भोई नतुभाई पुनम भाई, भोई भेखीबेन पुनम भाई की बेटी, भोई कोकिलाबेन पुनम भाई, राधा राधा परशुभाई की विधवा, भोई हसमुखभाई पुनम भाई, भोई कल्पेशभाई परशुभाई, भोई गोपालभाई परशुभाई
				कुल	0-15-38	

[फा.सं. E. -649883]

राजेन्द्र कुमार; मुख्य परियोजना प्रबंधक/निर्माण-।

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th July, 2025

S.O. 3191(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) (Published in the Gazette of India, under notification No.1442 of dated 27.03.2025 Extra Ordinary- part II- Section-3 -Sub-section (ii)) (here in after referred to as the said notification) under subsection(I) of section 20A of the Railway Act 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to be acquired the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the **Construction Of 2 Lane Road Over Bridge (Rob) In Lieu Of Lc No.278 At Km 455/20-22 Between Section Vadodara-Geratpur Of Vadodara Division On Western Railway Project In District Kheda In The State Of Gujarat.**

And, whereas, the substance of the said notification was published in daily local Gujarati newspaper “NIRMAL GUJARAT”dated 02nd April 2025, Hindi newspaper “YOUNG LEADER” dated 02nd April 2025 and English newspaper “THE INDIAN EXPRESS” dated 02nd April 2025 under subsection (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, no objection has been received by the competent authority.

And, whereas, in pursuance of sub-section (I) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report of the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central government here by declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

Sub Brief Description Of The Land To Be Acquired With Or Without Structure For The Special Railway Project Namely: Construction Of 2 Lane Road Over Bridge (Rob) In Lieu Of Lc No.278 At Km 455/20-22 Between Section Vadodara-Geratpur Of Vadodara Division On Western Railway Project In District Kheda In The State Of Gujarat As Per Joint Measurement Sheet Prepares By Dilr Kheda-Nadiad.

SCHEDULE

Brief Description Of The Land To Be Acquired With Or Without Structure For The Special Railway Project Namely : Construction Of 2 Lane Road Over Bridge (Rob) In Lieu Of Lc No.278 At Km 455/20-22 Between Section Vadodara-Geratpur Of Vadodara Division On Western Railway Project In The State Of Gujarat.

State : GUJARAT

District : Kheda

Sr. No.	Village Name	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of Land to be Acquire (in Sqm)	Name of Land Owner/Interested Person
Taluka : Nadiad (Rural)						
1	Silod	372/1	Private	Agriculture	0-00-16	Melabhai Shanabhai Somabhai Shanabhai Radhabhai Shanabhai Daughter of Nandaben Shanabhai Sardar Daughter of Niraben Shanabhai Sardar
2	Silod	378	Private	Agriculture	0-02-72	Dasharathbhai Mangalbhai
3	Silod	381	Private	Agriculture	0-00-15	rajabhai chandabhai, ranchhodhbhai sardarbhais, ashiben sardarbhais, pursottambhai rajaji, sheevabhai rajabhai, fulabhai rajabhai, mangalbhai rajabhai, magajibhai rajabhai chandabhai ni vidhava, savabhai becherbhais
4	Silod	518	Private	Agriculture	0-00-74	Vithalbhai virabhai, Udabhai virabhai, Lilaben budhabhai virabhai ni vidhva
5	Silod	519	Private	Agriculture	0-02-79	Gohel punjabhai bhikhhabhai
6	Silod	520	Private	Agriculture	0-00-41	Manguben Punambhai Mangalbhai's widow Natubhai Punambhai Hasmukhbhai Punambhai Daughter of Bhikhiben Punambhai Mangalbhai Daughter of Madhuben Punambhai Mangalbhai Kokilaben daughter of Punambhai Mangalbhai Bhoi Radhaben Te Parshubhai's widow

						Bhoi Kalpesh Parshubhai Radhaben is the guardian of minor son Gopal Parshubhai
7	Silod	521	Private	Agriculture	0-00-27	Ramabhai Shamalbhai
8	Silod	522	Private	Agriculture	0-08-14	Bhoi natubhai punambhai, Bhoi bhikhiben punambhai ni dikari, Bhoi Kokilaben punambhai ni dikari, Bhoi Radhaben parsuhai ni vidhva, Bhoi hasmukhbhai punambhai, Bhoi kalpeshabhai parsuhai, Bhoi gopalbhai parsuhai
TOTAL					0-15-38	

[F. No. E. -649883]

RAJENDRA KUMAR, Chief Project Manager/Construction/I